अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली पास्ते बहस दिनांक 16.1.18 को पेश हो।

16/1/2018

अभिभाषक अपीलार्थी उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलान्ट को पृथक-पृथक समय पर रूक-रूक कर बार-बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें। व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावें।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
भीलवाड़ा